कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेशांक 58–267 दिनांक 14.08.2021 एवं समसंख्यक आदेशांक 270–306 दिनांक 14.08.2021 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) एवं समकक्ष के अन्तरमण्डल स्थानान्तरण/समायोजन आदेश जारी किये गये थे। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में अंकित शर्तों के बिन्दु संख्या 01 में सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय कार्मिकों के परीवीक्षाकाल में होते हुये भी सम्बन्धित संस्था प्रधानों द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं की जाकर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया गया है।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेशों की शर्त संख्या–01 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने वाले परीवीक्षाधीन वरिष्ठ अध्यापकों का अन्तरमण्डल स्थानान्तरण आदेश तत्काल निरस्त कर पुनः पूर्व पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/व.अ./स्थानान्तरण/2021/392 दिनांक 01/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय को देकर उक्त कार्यवाही के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन संस्था प्रधानों द्वारा अन्तरमण्डल स्थानान्तरण आदेश में उल्लेखित शर्तों की अवहेलना करते हुए परिवीक्षाधीन वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया गया है उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
2. संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय के अन्तरमण्डल स्थानान्तरण समसंख्यक आदेशों की समस्त शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर